इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जनवरी 2018—पौष 14, शक 1939

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग की सेवा

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मत्स्यबीज उत्पादन हेतु सर्कुलर हेचरी की स्थापना के लिये आवेदन की स्वीकृति जारी करना.	जिला अधिकारी मत्स्योद्योग.	07 कार्य दिवस	संभागीय अधिकारी मत्स्योद्योग.	15 कार्य दिवस	संचालक मत्स्योद्योग
	तालाबों में एरियेटर की स्थापना के लिए आवेदन की स्वीकृति जारी करना.	जिला अधिकारी मत्स्योद्योग.	07 कार्य दिवस	संभागीय अधिकारी मत्स्योद्योग.	15 कार्य दिवस	संचालक मत्स्योद्योग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	मत्स्यबीज संवर्धन की इकाई की स्थापना के लिए आवेदन की स्वीकृति जारी करना.	जिला अधिकारी मत्स्योद्योग.	07 कार्य दिवस	संभागीय अधिकारी मत्स्योद्योग.	15 कार्य दिवस	संचालक मत्स्योद्योग
	पंचायती राज संस्थाओं से प्राप्त पट्टा आवंटन के प्रस्ताव पर हितग्राही की प्राथमिकता का निर्धारण.	जिला अधिकारी मत्स्योद्योग.	15 कार्य दिवस	संभागीय अधिकारी मत्स्योद्योग.	15 कार्य दिवस	संचालक मत्स्योद्योग
	मछुआ सहकारी समिति के गठन पश्चात् पंजीयन हेतु अनुशंसा करना.	जिला अधिकारी मत्स्योद्योग.	15 कार्य दिवस	संभागीय अधिकारी मत्स्योद्योग.	15 कार्य दिवस	संचालक मत्स्योद्योग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.